पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी का रहन, बैचान, हस्तान्तरण करने से इंकार नहीं किया सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थी को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का साना करना पडेगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हस्तगत प्रार्थना–पत्र में वर्णनानुसार अपने हक–अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन व दौराने बहस वकील उभयपक्षकारान ने वादग्रस्त आराजी की रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान का जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद किये जाने की सहमति प्रदान देने के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायलान** को वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायलान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास भू–अभिलेख निरीक्षक बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 35 रकबा 18–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 46 रकबा 20–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 47 रकबा 22–03 बीघा, खसरा नम्बर 382/6 रकबा 0–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 4 कुल रकबा 62 बीघा आई हुई है में रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नही करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज.)